दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दि.वि.प्रा. फ्लैटों के आवंटिती कृपया ध्यान दें – रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियशन के गठन हेतु अपील

दि.वि.प्रा. (आवासन संपदा का प्रबंधन एवं निपटान) अधिनियमन–1968 के नियम 38 में निर्धारित प्रावधानों तथा आबंटन की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार दि.वि.प्रा. फ्लैटों के सभी आवंटितीयों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियशन बनाना आवश्यक है तथा उसे विनियम 41, के अनुसार दि.वि.प्रा. में पंजीकृत कराना होगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए दि.वि.प्रा. फ्लैटों के आवंटितीयों द्वारा गठित सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियशन से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे अपने आप को **दिनांक 31 जुलाई 2019** तक दि.वि.प्रा. में पंजीकृत कर लें। इस उद्देश्य के लिए आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा प्रस्तुत / पूरे किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज / कोडल औपचारिकताएँ निम्न प्रकार से हैंः–

1) रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियशन द्वारा अपनाए गए आदर्श उप–नियमों की दो प्रतियां
2) आदर्श उप–नियमों को स्वीकार करने वाली आमसभा की बैठक के संकल्प की प्रति
3) कार्यकारिणी की सूची
4) ब्लॉक्स का कच्चा खाका (रफ स्कैच)
5) पिछले तीन (03) वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट
6) ब्लॉक के अनुसार फ्लैटों की सूची और आवंटितीयों के नाम
7) इस तथ्य का शपथपत्र कि उक्त पॉकेट में कोई और एजेंसी नहीं है
8) सोसायटी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति

दि.वि.प्रा. के पास रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियशन के पंजीकरण के लिए आवंटितीयों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा–

1) प्रत्येक आवंटिती के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियशन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
2) दि.वि.प्रा. केवल एक एसोसियशन को मान्यता प्रदान करेगा जिसके पास आवासीय पॉकेट में बहुसंख्य प्रतिनिधित्व होगा।
3) गठन के बाद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियशन अपनी आमसभा की बैठक में दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 के आदर्श उपनियमों को अपनाएगा।
4) रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियशन सोसायटी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय में अपने वेलफेयर एसोसियशन को पंजीकृत करवाएगा।
5) इस एसोसियशन का मुख्य कार्य समूह आवास योजना का हिस्सा बने आवंटिती के संपूर्ण हित के साथ उसके रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं में उसका सहयोग करना है।
6) एसोसियशन यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी आवंटिती द्वारा आवासीय परिसर में किसी तरह का अनधिकृत निर्माण न किया जाए।
7) इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. अपनी कालोनियों के सभी पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियशन के साथ कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना भी बना रहा है।

अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें–

उपनिदेशक (आवास) समन्वय, दिल्ली विकास प्राधिकरण

दूसरी मंजिल, डी–ब्लॉक, विकास सदन, आईएनए, दिल्ली 011–24661810 • coordhousdda@gmail.com

निदेशक समन्वय (आवास)

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट 'www.dda.org.in' देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800–110332 डायल करें!